

जापनी
3-7-07

जापनी
3-7-07

॥ आदेश ॥

समूह 'ब' के नियोजित कर्मचारियों को उनके नाम के अनुसार निम्न संख्याओं के स्थानान्तरित किया जाता है

क्र. सं.	नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती संख्या	जहाँ स्वभावस्थिति स्थित आता है।	संख्या
1.	जय शंकर झा, कर्मशाला अनुदेशक	राजगणधी 0- खुजा	राजगणधी 0- खुजा	स्वयं के अनुरोध पर।
2.	कचैया लाल शीतल, कर्मशाला अनुदेशक	घाटमपुर	कानपुर	स्वयं के अनुरोध पर।
3.	पीतम सिंह, कर्मशाला अनुदेशक	बदारी	जालियाबाद	स्वयं के अनुरोध पर।
4.	परीप कुमार, कर्मशाला अनुदेशक	जौनपुर	महिला बाराबसी	स्वयं के अनुरोध पर।
5.	गीतिका प्रसाद, कर्मशाला अनुदेशक	बैजाबाद	प्रतापबाद	स्वयं के अनुरोध पर।
6.	जे.ए.ए.ए. कर्मशाला अनुदेशक	राजपुर	खुजा	स्वयं के अनुरोध पर।
7.	रमनाथ, कुशल कमीशनर	बोदि	महोबा	स्वयं के अनुरोध पर।
8.	अशोक कुमार झा, कर्मशाला अनुदेशक	इटावा	कानपुर	स्वयं के अनुरोध पर।
9.	आर.ए.ए.ए.ए. कर्मशाला अनुदेशक	कानपुर	घाटमपुर	अवकाश में।
10.	ए.ए.ए.ए.ए. कर्मशाला अनुदेशक	मिर्जापुर	जालीपुर	स्वयं के अनुरोध पर।
11.	ए.ए.ए.ए.ए. कुशल कमीशनर	बदारी	बरेली	स्वयं के अनुरोध पर।
12.	राम अन्वित, कर्मशाला अनुदेशक	बरेली	फर्रुखाबाद	स्वयं के अनुरोध पर।
13.	ए.ए.ए.ए.ए. कर्मशाला अनुदेशक	सातजहाँपुर	मिर्जापुर	स्वयं के अनुरोध पर।
14.	देवेन्द्र कुमार, कर्मशाला अनुदेशक	मुरादाबाद	सातजहाँपुर	स्वयं के अनुरोध पर।
15.	विजय कुमार शर्मा, कर्मशाला अनुदेशक	सहारनपुर	मुरादाबाद	अवकाश में।
16.	वी.ए.ए.ए. कर्मशाला अनुदेशक	हल्दोई	मुरादाबाद	स्वयं के अनुरोध पर।
17.	राम प्रताप सिंह, कर्मशाला अनुदेशक	इटावा	कानपुर	स्वयं के अनुरोध पर।
18.	ए.ए.ए.ए. कर्मशाला अनुदेशक	जौनपुर	फर्रुखाबाद	स्वयं के अनुरोध पर।

उपरोक्त में से किन कर्मचारियों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें लिखी प्रकृति पर कोई धात्रा भेजा देय नहीं होगा।
स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कर्मचारियों को प्रतिस्वामी की प्रतिक्षा किये और अतिरिक्त कार्यमुक्त करके उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण के लिए भेजा है।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश की अतिरिक्त अनुशासनात्मक नवी परिधि में आया जायेगा। स्थानान्तरित कर्मचारियों का कोई प्रायोजन अज्ञात न किया जाये और यदि कोई कर्मचारी इस आदेश के विरुद्ध हजेरा प्रमाणित कर प्रेषित करेगा, उसके इत्त

पूरव/आचरण जे सरकारी धर्माचारी आचरण विद्यमानावली के विधम-27 जे उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। स्वाम्नास्तरण आदेशों के अनुसार नये स्थान पर कार्यभार उठान न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सी०सी०ए० रूल्स के नियम-40(ए) एमिशनेट एण्ड अपील के अधीन आवश्यक विस्तारन ले सम्बन्ध में अनुचित कार्यवाही पर भी विचार किया जा सकता है।

(प्रधा निदेशी)
निदेशक,

प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

सं०: 5531-30/ई-स्वा०उभागा०-०7.

अनुरोधदिनांक 30.06.07

- 1. प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विहित :-
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राथमिक शिक्षा, अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
- 2. जिला निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, गानपुर।
- 3. संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, लखनऊ/गौरी/पाराजानी/दौरागा (मेरठ)।
- 4. निदेशक, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, गानपुर।
- 5. प्रधानाचार्य राजधानी।
- 6. संबंधित कर्मचारी।
- 7. प्रत्येक संस्था (सी नृपज जलस सुधा), स्वाम्ना अनुभाग।

M.P.S.U-9
(एन०पी० सिंह)
सहायक निदेशक,
पूर्व निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

श्रीमती जयशिव प्राथमिक शिक्षा, परिषदी रोड, गैरस

- पत्रिका 464-74 अनुभाग-07 दिनांक 2 जूलाई, 2007
- 1- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दीं।
 - 2- प्रधानाचार्य राजधानी, गौरी-पहा, गानपुर, रामपुर, पाराजानी एवं चारापुर की
 - 3- निदेशक प्राथमिक शिक्षा, गानपुर, लखनऊ।

(Handwritten Signature)

गानपुर
प्राथमिक शिक्षा